प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 06 मार्च, 2019**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 का कार्यान्वयन की योजना में गत वर्षों के लम्बित दायित्वों के भुगतान हेतु धनराशि रू0-11.68 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-6.54 लाख की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-229/बजट/2018-19 दिनांक 16.03.2019 एवं शासन के पुर्नविनियोग संख्या-आर0ई0-755/ई-1/दस-2019, दिनांक-26.03.2019 पृष्ठांकन संख्या-266/58-2-2019-300(15)/2017 दिनांक-27.03.2019 (छाया प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-0417-मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना में हो रही बचतों में से लेखाशीर्षक-**2401-119-04-**0411-**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 **के कार्यान्वयन की योजना में गत वर्षों के लम्बित दायित्वों के भुगतान हेतु धनराशि रू0-6.54 लाख (रूपया छः लाख चौवन हजार मात्र) की व्यवस्था** पुर्नविनियोग के माध्यम से निम्नलिखित मदवार विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

अनुदान सं0	लेखाशीर्षक/मद का नाम	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	अवमुक्त की जा रही रही धनराशि
10	**2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-04-फल-0411- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012**			
	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.55	6.54	6.54
	योग-	**0.55**	**6.54**	**6.54**

(रूपया छः लाख चौवन हजार मात्र)

.....2/-

http://srnsanadesh.up.nic.in

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

2-उक्त धनराशि व्यय करने से पूर्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो।

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

4- वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

6- व्यय की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

7- उक्त धनराशि को पुर्नविनियोग के निर्धारित प्रपत्र सं0 बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

8-यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

<u>संलग्नक-यथोक्त</u>

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

<u>संख्या-60/2019/297(1)/58-2-2019, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।
5- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
6- वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in